

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्ठाहार अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई0सी0डी0एस0-सामान्य (के.-60/रा.-40-के.) एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई0सी0डी0एस0-सामान्य में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी-953/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई0सी0डी0एस0-सामान्य(के.60/रा0.40-के.) के मानक मद 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण में अनुपूरक मांग के उपरान्त कुल प्रावधानित धनराशि रू0 24761.00 लाख के सापेक्ष रू0 16361.23 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई0सी0डी0एस0-सामान्य मानक मद 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण में अनुपूरक मांग के उपरान्त कुल प्रावधानित धनराशि रू0 16507.00 लाख के सापेक्ष रू0 10907.49 लाख अर्थात् कुल रू0 27268.72 लाख (रुपया दो अरब बहत्तर करोड़ अड़सठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।